

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) हरियाणा,
प्लॉट न0 4-5, सैक्टर 33-बी, दक्षिण मार्ग, चण्डीगढ़
Office of the Principal Accountant General (Audit) Haryana, Plot No.4-5,
Sector 33-B, Dakshin Marg, Chandigarh -160 020


यू.ओ.सं.: - प्रशासन-II/ले.प./7-144/2024-25/889

दिनांक:- 31.12.2024

विषय : कार्यालय आदेश को कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के सम्बन्ध में।

इस अनुभाग का कार्यालय आदेश संख्या 340 दिनांक 20.12.2024 इस कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए आपको भेजा जा रहा है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार


वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
(प्रशासन-II)
31.12.24

सेवा में

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी,
कंप्यूटर कक्ष

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) हरियाणा, प्लॉट नंबर 4-5, सेक्टर 33-बी, दक्षिण मार्ग, चण्डीगढ़

कार्यालय आदेश

क्रमांक: प्रशासन-II/ले.प./2024-25/340

दिनांक: 20.12.2024

भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) द्वारा दिनांक 13.02.1998 को जारी अधिसूचना संख्या 11013/10/97-स्था.(ए) के अनुसार, प्रधान महालेखाकार कार्यरत महिलाओं के यौन उत्पीड़न की शिकायतों के निवारण के लिए निम्नलिखित समिति का पुनर्गठन करते हैं:-

- | | | |
|---|---|---------|
| 1. सुश्री मनीषा तूर, उप-महालेखाकार | - | अध्यक्ष |
| 2. सुश्री शरीन जैकब, अधिवक्ता (एन.जी.ओ.) | - | सदस्य |
| 3. श्री रोशन लाल शर्मा, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी | - | सदस्य |
| 4. श्री गुरु सरूप बंसल, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी | - | सदस्य |
| 5. श्रीमती कैलाश कुमारी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी | - | सदस्य |
| 6. सुश्री ज्योति, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी | - | सदस्य |

समिति को शिकायतों, यदि कोई हो, से निपटने के दौरान यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यौन उत्पीड़न की शिकायतों से निपटने के दौरान पीड़ितों या गवाहों को परेशानी या भेदभाव का सामना न करना पड़े। विशाखा और अन्य बनाम राजस्थान राज्य और अन्य (जे.टी. 1997 (7) एस.सी. 384) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों और मानदंडों को भी ऐसी शिकायतों से निपटने के दौरान ध्यान में रखा जाना चाहिए।

हस्ता / -

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशासन)

क्रमांक: प्रशासन-II/ले.प./परिपत्र/एस.एच.सी.आर.सी./2024-25/2769-2779

दिनांक: 20.12.2024

इसकी प्रति निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित है:-

1. सुश्री मनीषा तूर, उप-महालेखाकार, कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) पंजाब, प्लॉट नंबर 20, सेक्टर 17 ई, चंडीगढ़-160017
2. सुश्री शरीन जैकब, अधिवक्ता (एन.जी.ओ.)
3. श्री रोशन लाल शर्मा, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
4. श्री गुरु सरूप बंसल, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
5. श्रीमती कैलाश कुमारी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
6. सुश्री ज्योति, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी
7. प्रधान महालेखाकार के सचिव
8. कार्यालय में सभी समूह अधिकारी
9. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, एच.के., कार्यालय में डिस्प्ले बोर्ड के लिए।
10. कार्यालय में सभी अनुभाग
11. कार्यालय आदेश फाइल (प्रशासन-I)

हस्ता / -

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशासन-II)